एफ संख्या 7(56)-संस्था(I)/78

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में लेखा-परीक्षकों तथा रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड II लिपिकों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 15/-रुपये प्रति मास का अर्हक वेतन मंजूर किए जाने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करना।

मुझे इस मंत्रालय के 25 सितम्बर, 1981 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखा-परीक्षकों तथा रेलवे लेखा विभाग में ग्रेड II लिपिकों को निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1.6.1981 से 15/-रुपये प्रतिमाह का अर्हक वेतन मंजूर किया गया था। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श-दाता तन्त्र) में कर्मचारी पक्ष ने 1.1.1973 से पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा 1.1.1973 से 31.5.1981 तक की अवधि के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लेखा-परीक्षकों के सम्बन्ध मे कुछ विसंगतियां बताई हैं।

2. इस मामले पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ परामर्श करके इस मंत्रालय में सावधानी-पूर्वक विचार किया गया है। राष्ट्रपति जी अब निर्णय करते हैं कि 1.1.1973 से 31.5.1981 तक की अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लेखा-परीक्षकों/ग्रेड II लिपिकों को भी 15/=रुपए का अर्हक वेतन परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से काल्पनिक रूप से मंजूर कर दिया जाए, किन्तु उन्हें वास्तविक लाभ 1.6.1981 से ही स्वीकार्य होगा। यह अर्हक वेतन इस बात पर ध्यान दिये बिना मंजूर किया जाएगा कि ऐसे लेखा-परीक्षक 1.6.1981 को लेखा-परीक्षक का पद अथवा कोई उच्चतर पद धारण किए हुए थे। उन कर्मचारियों के मामले में जो 1.6.81 को लेखा-परीक्षक का पद धारण किए हुए थे, अर्हक वेतन एक अलग अंश के रूप में दिया जाएगा तथा और आगे पदोन्नति पर इसे वेतन का नियतन करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाएगा। उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1.6.81 से पूर्व उच्चतर पदों पर पदोन्नत किए गए हैं, अर्हक वेतन काल्पनिक आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से मंजूर किया जाए तथा उच्चतर पद पर उनके वेतन का नियतन करने के प्रयोजन के लिए उसे हिसाब में ले लिया जाए लेकिन 1.6.1981 से पूर्व की अवधि के लिए वे बकाया राशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

पृ....2/.

3. राष्ट्रपति जी यह निर्णय भी करते हैं कि ऐसे लेखा-परीक्षकों के संबंध में, जिन्होंने 1.1.1973 से पूर्व उस समय प्रचलित योजना के अंतर्गत विभागीय परीक्षा पास की है, यदि कनिष्ठ कर्मचारी जिसने ऐसी परीक्षा 1.1.1973 को अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की हो, का वेतन तथा अर्हक वेतन मिलाकर उसके वरिष्ठ व्यक्ति जिसने यह परीक्षा 1.1.1973 से पूर्व उत्तीर्ण कर ली थी, अधिक हो जाता है तो ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को उसके अन्तर की राशि काल्पनिक आधार पर ऐसी विसंगति की तारीख से अर्हक वेतन के रूप में मंजूर कर दी जाए तथा इसका वास्तविक लाभ केवल 1.6.1981 से ही स्वीकार्य होगा। इस प्रकार से मंजूर किया गया अर्हक वेतन ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति की उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति होने पर, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति 1.6.1981 को अथवा इससे पहले अथवा इसके बाद हुई, उसके वेतन का नियतन करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी। लेकिन 1.6.1981 से पूर्व की अवधि के लिए उन्हें कोई बकाया राशि प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित मामलों में अर्हक वेतन की मन्जूरी इसके अलावा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(i) जिस समय ऐसी विसंगति हुई हो उस समय वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मचारी दोनों एक ही संवर्ग में सम्बन्धित हों।

(ii) जिस समय ऐसी विसंगति हुई हो, उस समय वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कर्मचारी, वेतन-मान में लेखा-परीक्षक का पद धारण किये हुए हों, तथा

(iii) ऐसी विसंगति प्रत्यक्षत: इस मंत्रालय के दिनांक 25.9.1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(56)-संस्था0(III)(क)/78 के अन्तर्गत स्वीकार्य 15/- रुपए प्रति मास के अर्हक वेतन की मन्जूरी के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि विसंगति उत्पन्न होने से पूर्व, कनिष्ठ कर्मचारी सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन का नियतन किए जाने अथवा समय-समय पर मंजूर की गई अग्रिम वेतन वृद्धियों के कारण, पहले ही वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो तो, जैसा कि ऊपर पैरा-3 में उल्लिखित व्यवस्थाओं में परिकल्पना की गई है, ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी को अर्हक वेतन मंजूर करने के लिए इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबंधों को लागू न किया जाए।

...3/.

5. इस कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्थाएं ऐसे अन्य विभागों में भी लागू होंगी जहां इस मंत्रालय के दिनांक 25.9.1981 के का०ज्ञा० संख्या 7(56)-संस्था०III/78 के अन्तर्गत स्वीकार्य 15/-रुपए प्रति-मास के अर्हक वेतन का लाभ-इस मंत्रालय की सहमति से दिया गया है।

6. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

र० च० पुरी

(आर०सी० पुरी)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।
3. महा लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रीमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. महानिदेशक डाक तार, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को उनकी दिनांक 23.2.1984 की अनौ०टि० संख्या 464/84- संस्था० पी. I के संदर्भ में।
2. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र), 9 अशोक रोड, नई दिल्ली ।
3. लेखा नियंत्रक, रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली ।

र० च० पुरी

(आर०सी० पुरी)
उप सचिव, भारत सरकार